उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में खण्डीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु दिये गये आवेदन पत्र

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जनपद तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 इच्छित स्थान वरियता क्रम मे	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धरम सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर।	जनपद नैनीताल तहसील धारी	निर्माण खण्ड हल्द्वानी स0मा0ख0 हल्द्वानी अस्थाई खण्ड भवाली वि0 / यां0 खण्ड भीमताल प्रान्तीय खण्ड रुद्रपुर निर्माण खण्ड रामनगर निर्माण खण्ड नैनीताल प्रान्तीय खण्ड नैनीताल वि0 / यां0 खण्ड बाजपुर	धारा 17 (1)(ख)(एक)	सलग्नानुसार	प्रार्थी द्वारा वर्ष 2002 से लगातार दुर्गम की सेवा की है।

हस्ताक्षर कार्मिक

नाम धरम सिंह

पदनाम प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

नाम (ए. रामकुमार) अधिशासी अभियन्ता

पदनाम प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 बागेश्वर

Scanned with CamScanner

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

विषयः– अनुरोध के आधार स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

द्वारा:– उचित माध्यम

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय ज्ञाप संख्या 278/17व्यग–उ0/2017 दिनांक 20.04.2018 द्वारा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, भवाली से शासनादेशानुसार सुगम से दुर्गम की सेवा के तहत नि0ख0,ए0डी0बी0,लो0नि0वि0, बागेश्वर को किया गया था, के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.04.2018 के पूर्वान्ह में योगदान आख्या नि0ख0,ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, बागेश्वर में प्रस्तुत की गई।

महोदय उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 165/iii(1)/2021-70 (अधि)2005 दिनांक 13 अप्रैल 2021 द्वारा निर्माण खण्ड ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, बागेश्वर को समाप्त करने के फलस्वरूप खण्ड में कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर में होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2021 को प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर में योगदान आख्या प्रस्तुत की।

महोदय प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2002 में प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा में हुई प्रार्थी द्वारा वर्ष 2002 से 30.08.2017 तक प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा (दुर्गम क्षेत्र) में सेवा की गई तत्पश्चात मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश सं0 1179/392व्यग–अ0क्षे0/16 दिनांक 19.07.2017 द्वारा प्रार्थी का स्थानान्तरण अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली में होने के फलस्वरूप मेरे द्वारा 31.08.2017 को अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, भवाली में योगदान प्रस्तुत किया गया।

पुनः मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश सं0 3264/392व्यग–अ0क्षे0/2017 दिनांक 31.08.2017 द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा में सम्बद्धीकरण किया गया इसी क्रम मे मुझे अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली से दिनांक 07.09.207 द्वारा प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को कार्यमुक्त किया गया।

इस प्रकार *वर्ष 2002 से दिनांक 24.04.2018* तक मेरी पूर्ण सेवा प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा (दुर्गम) में रही। वर्तमान में मेरी पदोन्नति प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पदोन्नति प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग देहरादून के कार्यालय–ज्ञाप सं0 383/18व्यग–अधि0–उ0/2021दिनांक 21.06.2022 द्वारा हुई है तथा मेरी पदोन्नति प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बागेश्वर में की गई है जबकि प्रार्थी शासनादेशानुसार में सुगम की सेवा हेतु पात्र था ।

महोदय अवगत कराना है कि मैं सुगर इत्यादि रोगों से ग्रस्त हुं वर्तमान में सुगर लेवल भी 400 के पास पहुच गया है। मेरा ईलाज हल्द्वानी में डा0 के0सी0 लोहनी से चल रहा है सुगर की जॉच हेतु मुझे प्रत्येक माह हल्द्वानी जानी पडता है तथा बागेश्वर की दूरी अधिक होने तथा प्रार्थी एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी होने के कारण काफी दिक्कतो का सामना करना पडता है।

साथ ही महोदय को अवगत कराना है कि मेरी पत्नी जो घर में अकेली रहती है तथा कई रोगों के ग्रसित है। मेरे परिवार जन बाहर कार्यरत एवं अध्यनरत है जिस कारण उनके देख–रेख हेतु घर में कोई मौजूद नही है। अतः महोदय मेरा स्थानान्तरण हल्द्वानी अथवा इसके नजदीक किसी भी खण्ड में करने की कृपा किजिए ताकि प्रार्थी अपने राजकीय दायित्वों के साथ–साथ पत्नी के स्वास्थ्य की देख–रेख कर सके। इस हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

संलग्नः– पत्रानुसार

प्रार्थी

(धरम सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्रीमती हीरा चन्द्रा	प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० बागेश्वर	अल्मोड़ा / रामनगर	1- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी 2- रा०आ० खण्ड लो० नि० वि० हल्द्वानी 3- पी०एम०जी०एस० वार खण्ड रुद्रपुर 4- ए०डी०बी० खण्ड रुद्रपुर 5- प्रा०ख०लो०नि०वि० रुद्रपुर 6- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० काशीपुर 7- नि०म० खण्ड काशीपुर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☑ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण चिकित्सीय प्रमाण पत्र	

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– हीरा चन्द्रा

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– (ई० राजकुमार)

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
जलसंस्थान "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा- उचित माध्यम

विषय- अनुरोध के आधार स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मुझे वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड लोनिवि बागेश्वर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय उक्त के क्रम में निवेदन अवगत कराना है कि मेरे साथ घटित की कतिपय घटनाओं [illegible] अभियन्ता [illegible] खण्ड नई टिहरी के कार्यरत थे इनके दिनांक [illegible] को [illegible] कार्य करते हुए वाहन दुर्घटना में [illegible] हुए थे। इस दुर्घटना में मेरी माता श्रीमती [illegible] देवी का भी निधन हो गया था तथा मुझे व मेरे बच्चों को [illegible] चोटें आई थी मेरी पेट की हड्डी व पसलियों भी टूटकर हो गयी थी। तत्पश्चात के बाद अनुकम्पा के आधार पर मुझे अधिकृत के रूप में मेरे नियुक्ति दिनांक [illegible] को कनिष्ठ सहायक के पद पर [illegible] खण्ड लोनिवि [illegible] में की गई तथा मैं अपने बच्चों के साथ [illegible] में निवासरत हूँ। दुर्घटना के कारण मेरी शारीरिक स्थिति पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है क्योंकि दुर्घटना के उपरान्त मुझे चलने में भी परेशानी होती है। मेरे बच्चे [illegible] में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में मुझे प्रान्तीय खण्ड लोनिवि बागेश्वर में [illegible] के कारण मुझे [illegible] आने जाने और बच्चों की देखभाल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि मेरे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ही है, परन्तु वर्तमान में मेरी तैनाती बागेश्वर में होने के कारण मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मेरी [illegible] को दृष्टिगत रखते हुए मेरी मेरी पारिवारिक समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर मेरा स्थानान्तरण [illegible] के पोस्ट की खाली में आवास सहायक के रिक्त [illegible] खण्ड के पोस्ट की खाली में करने की कृपा करें जिससे प्रान्तीय [illegible] कार्यों के साथ-साथ अपनी पारिवारिक [illegible] का निर्वहन भी पूर्ण कर सकूं। प्रार्थिनी आपकी इस कृपा के लिए आजीवन आपकी आभारी रहेगी।

संलग्न- 1- पूर्व से प्रेषित प्रार्थना पत्रों की प्रति।
2- चिकित्सा अभिलेखों की प्रति।

प्रार्थिनी
(श्रीमती [illegible])
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लोनिवि बागेश्वर।

1- अधिशासी अभियन्ता प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष जलसंस्थान लोनिवि देहरादून।
2- प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री [illegible] एसोसिएशन लोनिवि देहरादून को मेरी उक्त परिस्थिति को महोदय संज्ञान में लाने की कृपा करें।
3- जिलाध्यक्ष महामंत्री [illegible] एसोसिएशन लोनिवि बागेश्वर को मेरी उक्त परिस्थिति को महोदय संज्ञान में लाने की कृपा करें।

श्रीमती [illegible]
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लोनिवि बागेश्वर।

Scanned with CamScanner

मण्डलीय चिकित्सा परिषद– नैनीताल ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गीता चन्दा, पुत्र- 45 वर्ष वरिष्ठ सहायक, कार्यालय [illegible] खण्ड, लोकनिर्माण विभाग, जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक [illegible] को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुई ।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल में कराया गया, साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत [illegible] जो बैस अस्पताल हल्द्वानी/जोशी चेस्ट हॉस्पिटल हल्द्वानी/ एम्स दिल्ली का है, को भी सलग्न में लिया गया।

परीक्षणोपरांत इन्हें PUC [illegible] GT [illegible] Hemmers E & L2 Vertebly पाया गया । अतः इन्हें सम्बन्धित विभाग की रूल के अनुसार फॉलोअप एवं उपचार की सलाह दी जाती है।

ह0 (गीता चन्दा)

ह0 प्रमाणित : [illegible] 22/5/18

[illegible]

[illegible]

सदस्य

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल ।

दिनांक मई 22 2018

संख्या एम-3/2018

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, [illegible] खण्ड, लोकनिर्माण हल्द्वानी को उनके पत्र दिनांक 17 मई 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

22/5/18
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
नैनीताल

Signature attested
Jura Negi
22/05/18

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोकनिर्माणविभाग,बागेश्वर
Phone/Fax.No:- 05963-220006 Email ID:- pdpwdbgr.@G.mail.com

पत्रांक-1120/ एसी०ई०

दिनांक-28/4/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- अनुरोध के आधार पर आवेदन प्रारूप 02 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 527 / 34व्यय-स्थानान्तरण-सा0 / 2003 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम इस खण्ड कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रारूप-02 संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ई0 राजकुमार अधिशासी अभियन्ता
2. ई0 दिशा जोशी सहायक अभियन्ता
3. ई0 राजेन्द्र प्रसाद सती अपर सहायक अभियन्ता
4. ई0 सन्तोष पाण्डे कनिष्ठ अभियन्ता
5. श्री रवी राम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
6. श्री धरम सिंह प्रशासनिक अधिकारी
7. श्रीमती मीरा चन्द्रा प्रशासनिक अधिकारी
8. श्रीमती शारा दुबे कनिष्ठ सहायक
9. श्री राजेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक।
10. ई0 मनोज कुमार, अपर सहायक अभियन्ता,
11. ई0 पायल लोधी अपर सहायक अभियन्ता
12. ई0 मनुज एस0 सहायक
13. ई0 रोशन सिंह कनवाल अपर एस0 सहायक

भवदीय
28.4.23
(ई0 राजकुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
बागेश्वर।
28/4/23

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9
					धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1. मीनाक्षी मीरा चन्द्रा	प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० बागेश्वर	अल्मोड़ा/रामनगर	1- निर्माण खण्ड लो०नि० वि० हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	चिकित्सकीय प्रमाण पत्र	
				2- रा० आ० खण्ड लो० नि० वि० हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
				3- पी०एम०जी०एस० वार खण्ड हल्द्वानी	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
				4- ए०डी०बी० खण्ड रुद्रपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
				5- प्रा०ख० लो०नि० वि० रुद्रपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
				6- निर्माण खण्ड लो०नि० वि० काशीपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
				7- वि०या० खण्ड बाजपुर	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

टः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– मीरा चन्द्रा

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– (इं० राजकुमार)

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० बागेश्वर

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड देहरादून।

द्वारा– उचित माध्यम

विषयः– अनुरोध के आधार स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम मे अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय उक्त के क्रम में निम्नानुसार अवगत कराना है कि मेरे स्व0 पति श्री हरीश चन्द्र, तत्कालीन, कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड नई टिहरी मे कार्यरत थे इनका दिनांक 08.07.2001 को राजकीय कार्य करते हुए वाहन दुर्घटना मे निधन हुआ था। इस दुर्घटना मे मेरी सास श्रीमती खट्टी देवी का भी निधन हो गया था तथा मुझे व मेरे बच्चो को गम्भीर चोट आयी थी मेरी रीढ की हड्डी व पसलियो भी फैक्चर हो गयी थी। उपचार के बाद अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित के रूप मे मेरी नियुक्ति दिनांक 21.06.2002 को कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 हल्द्वानी मे की गई तथा मै अपने बच्चो के साथ हल्द्वानी मे निवासरत हूँ। दुर्घटना के कारण मेरी शारीरिक स्थिति पर्वतीय क्षेत्र मे जाने योग्य नही है, क्योकि दुर्घटना के उपरान्त मुझे चलने मे भी परेशानी होती है। मेरे बच्चे हल्द्वानी मे रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है। वर्तमान में प्रार्थी प्रान्तीय खण्ड, लो.नि0वि0 बागेश्वर मे तैनाती के कारण मुझे हल्द्वानी आने जाने और बच्चों की देखभाल करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय उक्त के क्रम मे यह भी अवगत कराना है कि मेरे बच्चो की देखभाल की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ही है, परन्तु वर्तमान में मेरी तैनाती बागेश्वर में होने के कारण मुझे शारीरिक एवं मानसिक रूप से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मेरी वर्तमान परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए एवं मेरी पारिवारिक समस्याओ के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर मेरा स्थानान्तरण हल्द्वानी के किसी भी खण्ड मे अथवा हल्द्वानी के समीप जिला उधमसिंह नगर के किसी भी खण्ड मे करने की कृपा करे जिससे प्रार्थी अपने राजकीय कार्यो के साथ–साथ अपनी पारिवारिक दायित्वो का निर्वहन भी पूर्ण मनोयोग से कर सकू। प्रार्थिनी आपकी इस कृपा के लिए आजीवन आपकी आभारी रहेगी।

संलग्न–1– पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्रों की प्रति।
2– चिकित्सा अभिलेखो की प्रति।

प्रार्थीनी
श्रीमती मीरा चन्द्रा
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

1– अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
2– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री, मिनिस्टीयल एसोसिएशन, लो0नि0वि0 देहरादून को मेरी उक्त परिस्थिति को महोदय संज्ञान में लेने की कृपा करे।
3– जिलाध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्टीरियल एसोसिएश, लो0नि0वि0 बागेश्वर को मेरी उक्त परिस्थिति को महोदय संज्ञान में लाने की कृपा करे।

श्रीमती मीरा चन्द्रा
प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

O/C

Scanned with CamScanner

मण्डलीय चिकित्सा परिषद– नैनीताल ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती [illegible] उम्र- 45 वर्ष, [illegible] हल्द्वानी, जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक [illegible] को मण्डलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित हुई ।

इनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय नैनीताल में कराया गया, साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत [illegible] के अस्पताल हल्द्वानी/जोशी बेल हॉस्पिटल हल्द्वानी/ एम्स दिल्ली का है, को भी संज्ञान में लिया गया।

परीक्षणोपरांत इन्हें PUC after G.T.B. Nursing C & Ex-Vert-body पाया गया । अतः इन्हें [illegible] के अनुसार कौंसेलिंग एवं उपचार की सलाह दी जाती है।

Neetha

डा० (नीता पन्त)

डा० प्रमाणित : सी०एम०ओ०

Jasa Negi
ASSISTANT
MEDICAL BOARD
Nainital

सदस्य

सदस्य

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल ।

दिनांक [illegible]

संख्या एम-3/2018 प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, [illegible] खण्ड, लोनिवि० हल्द्वानी,को उनके पत्र दिनांक [illegible] के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
नैनीताल

Neetha Signature attested

Jasa Negi
22/05/18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोकनिर्माणविभाग,बागेश्वर
Phone/Fax.No:- 05963-220006 Email ID:-pdpwdbgr. @G.mail.com

पत्रांक-1120/2जी0ई0 दिनांक 28/4/2023

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- अनुरोध के आधार पर आवेदन प्रारूप 02 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 527 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2003 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम इस खण्ड कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रारूप–02 संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. इं0 राजकुमार अधिशासी अभियन्ता
2. इं0 दिशा जोशी सहायक अभियन्ता
3. इं0 राजेन्द्र प्रसाद सती अपर सहायक अभियन्ता
4. इं0 सन्तोष पाण्डे कनिष्ठ अभियन्ता
5. श्री रमी राम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
6. श्री धरम सिह प्रशासनिक अधिकारी
7. श्रीमती मीरा चन्द्रा प्रशासनिक अधिकारी
8. श्रीमती तारा दूबे कनिष्ठ सहायक
9. श्री राजेन्द्र सिह वरिष्ठ सहायक।
10. इं0 मनोज कुमार अपर सहायक अभियन्ता
11. इं0 पामल जोशी अपर सहायक अभि0

भवदीय
28.4.23
(इं0 राजकुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
बागेश्वर।
28/4/23

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रमसं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री ओम प्रकाश	प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट	उधमसिंह नगर/सितारगंज	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	1– प्रार्थना पत्र	प्रार्थी के घर से कार्यक्षेत्र की दूरी लगभग 300 किमी0 है, प्रार्थी को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट मे कार्यरत 05 वर्ष पूर्ण हो चुके है। प्रार्थी की माता जी काफी वृद्ध है एवं बीमार रहती है जो चलने फिरने मे असमर्थ है, जिसका ईलाज सितारगंज एवं पीलीभीत से चल रहा है, जिनकी देख रेख करने वाला प्रार्थी के अलावा कोई नहीं है।
					प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					रा0मा0 खण्ड घूमाकोट	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					रा0मा0 खण्ड लोहाघाट	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					प्रा0ख0, अल्मोड़ा	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					नि0ख0 अल्मोड़ा	☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– ओम प्रकाश

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– इं0 आर0 पी0 उपाध्याय

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

कपकोट (बागेश्वर)

सेवा में,

श्रीमान् प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय,
व्यवस्थापन ग वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 431
दिनांक 28/02/23

विषय:- नियमित अध्यायन

विषय– निजी अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0 कपकोट (बागेश्वर) में लगभग 05 (पाँच) वर्षों से प्रधान सहायक तथा वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं। प्रार्थी मूल रूप से उधम सिंह नगर का निवासी हैं। प्राथी के घर से कपकोट की दूरी लगभग 300 कि0मी0 पड़ती हैं। प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा हैं जिसका ईलाज पीलीभीत/खटीमा से चल रहा हैं। एवं प्रार्थी की माताजी काफी वृद्ध हैं तथा बीमार रहती हैं। तथा चलने फिरने में असमर्थ हैं जिसकी देख–रेख करने वाला प्रार्थी के अलावा अन्य कोई नही है प्रार्थी की माताजी का ईलाज भी पीलीभीत एवं सितारगंज से चल रहा हैं। प्रार्थी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। पत्नी एवं माताजी की देख–रेख हेतु बार–बार घर पर आने जाने में अनावश्यक व्यय करना पड़ता हैं। जिस कारण कि प्रार्थी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी का निजी हित में स्थानान्तरण चम्पावत, लोहाघाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, धूमाकोट, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ स्थित मुख्यालय के किसी भी खण्ड में करने का कष्ट करें। ताकि प्रार्थी अपने राजकीय कार्य के साथ–साथ अपनी पत्नी व माताजी का ईलाज एवं उनकी देख–रेख कर सकूँ तथा अनावश्यक आर्थिक व्यय से बच सकूँ।

प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

28/2/23

प्रार्थी–

ओम प्रकाश
प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट

अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापक ग वर्ग लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता अ0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

प्रेतिलिपि– क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

RNo. 931/1GE/Dt. 1/03/2023
अधीक्षण अभियन्ता महोदय प्रकरण
संस्तुति सहित अग्रसारित

प्रार्थी–

ओम प्रकाश
प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
कपकोट (बागेश्वर)
1/03/2023

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति सरस्वती खण्डूरी	प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की	जन0–देहरादून तह0–बोईवाला	(1) एन0एच0 खण्ड, बोईवाला (2) एन0एच0, खण्ड ISBT देहरादून (3) प्रान्तीय खण्ड, देहरादून। (4) निर्माण खण्ड, देहरादून। (5) मैकेनिकल डिविजन, देहरादून। (6) अन्वाई खण्ड, ऋषिकेश। (7) मैकेनिकल डिविजन, ऋषिकेश। (8) पी0आई0यू0, खण्ड, देहरादून। (9) निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर। (10) प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार।	धारा के नाम के आगे ✔ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थिनी की उम्र लगभग 58 साल है, तथा प्रार्थिनी एकल मृतक आश्रित विधवा महिला है। प्रार्थिनी की देखरेख करने वाला अन्य कोई सदस्य नहीं है, एवं प्रार्थिनी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है।
						धारा 17(1) (ख) (एक)		
						धारा 17(1) (ख) (दो)		
						धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						धारा 17(1) (ख) (चार)		
						धारा 17(1) (ख) (पाँच)		
						धारा 17(1) (ख) (छः)	मृत्यु प्रमाण–पत्र	
						धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट – कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम – सरस्वती खण्डूरी
पदनाम – प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
वि0 रूड़की हरिद्वार।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

08/05/23

नाम – [illegible]
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रूड़की

सेवा में,

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ग" वर्ग,
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

विषय :- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

द्वारा :- उचित माध्यम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 337/18 व्यग अधि0-उ0/2021 दिनांक 27.05.2022 के द्वारा प्रार्थीनी की पदोन्नित प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की हुई है, प्रार्थीनी वर्तमान समय मे लालटप्पर बोईवाला देहरादून में नियोजित है। प्रार्थीनी एक मृतक आश्रित (विधवा) एकल, वरिष्ठ नागरिक के 13(6) के आधार पर पात्र है तथा प्रार्थीनी के नर्वस सिस्टम की समस्या है जिसके कारण प्रार्थीनी के समय-समय पर इन चिकित्सालय ईलाज (थेरेपि) के लिये जाना पड़ता है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि प्रार्थीनी का स्थानान्तरण देहरादून, ऋषिकेश के किसी भी खण्ड में करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

सरस्वती खण्डूरी
प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की

प्रतिलिपि

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरस्वती खण्डूरी
प्रशासनिक अधिकारी

मूल में संस्तुति सहित अग्रसारित

E. E

प्रपत्र संख्या–10
(नियम–9 देखिए)

(उत्तरांचल सरकार)
स्वास्थ्य विभाग
मृत्यु का प्रमाण–पत्र

(उत्तरांचल सरकार)
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अधीन जारी किया गया है/धारा 17 के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो _____ राज्य के _____ जिले की _____ तहसील के _____ के रजिस्टर में है।

(स्थानीय क्षेत्र)

नाम _____ राष्ट्रीयता _____
लिंग _____ स्थायी पता _____
मृत्यु की दिनांक _____ अभिलेखीकरण संख्या 1560
मृत्यु का स्थान _____ रजिस्ट्रीकरण की दिनांक 6-10-2001
पिता / माता / पति का नाम _____
जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर _____
दिनांक _____

Registrar (Births & Deaths)
Nagar Nigam Dehra Dun.
(UTTARANCHAL) INDIA

COMMON SEAL
सार्वजनिक मुद्रा
नगर निगम, देहरादून
NAGAR NIGAM DEHRADUN

टिप्पणी: मृत्यु की दशा में मृत्यु के कारण [illegible] रजिस्टर के प्रति[illegible] नहीं की जायेगी। उप धारा 12.(1) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानीय क्षेत्र की अधिकतम लम्बाई चौड़ाई	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नन्दलाल भारती	प्रशासनिक अधिकारी	अ.रा.लो.नि.वि. चकराता	देहरादून तह. चकराता	1- [illegible] सड़िया, निर्माणखण्ड देहरादून 2- निर्माणखण्ड देहरादून 3- प्र-निर्माणखण्ड देहरादून 4- म.म. अईवाड़ी 5- म.म. [illegible] 6- अ.रा.प्रशा. [illegible] 7- प्र-निर्माणखण्ड हरिद्वार, 8- निर्माणखण्ड बड़कोट 9- म.म. बड़कोट 10- निर्माणखण्ड पुरोला	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☑ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	59 वर्ष, हो चुके हैं जनवरी, ~~2024~~ 2024 में सेवा निवृत्त फलस्वरूप मैं चकराता ही रहूंगा।	

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– नन्दलाल भारती
पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी
अ.रा.लो.नि.वि.
चकराता, देहरादून,

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– इ० डी० पी० एस नेगी
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
चकराता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1–	जगपाल सिंह	प्रशा0 अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता लघु सिं0 विभाग	पौड़ी गढ़वाल / पौड़ी	1– पौड़ी लघु सिं0 वि0 पौ–गढ़वाल 2– अल्मोड़ा लघु सिंचाई 3– रुद्रप्रयाग पौड़ी 4– टिहरी पौड़ी 5–	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

2– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– जगपाल सिंह

पदनाम– प्रशा0 अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– श्री प्रदुम्न कुमार

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अल्माई रन्ड लघु सिं0वि0
सहिया, देहरादून

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	रमेशचन्द्र डसीला	प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग	पौड़ी / श्रीनगर	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 मुख्यालय	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)	दुर्गम से दुर्गम सम्भावित रिक्ति पद के सापेक्ष	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– रमेशचन्द्र डसीला

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– अधिशासी अभियन्ता

पदनाम– प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप – 2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती दिगम्बरी भण्डारी	प्रशासनिक अधिकारी	अस्थाई वि0/यौ0 खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर	चमोली/ चमोली	1. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 श्रीनगर 2. अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर 3. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर 4. प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग 5. रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	धारा के नाम के आगे ✓ लगाए	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थिनी के बच्चे देहरादून में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों के अकेले रहने के कारण मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रही हूँ।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट :– कॉलम सख्या 07 मे दर्शाये गये आधार के सबध मे सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :– दिगम्बरी भण्डारी

पदनाम :– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

पंकज पर्वतवाल

नाम :– अधिशासी अभियन्ता अस्थाई वि0/यौ0 खण्ड

पदनाम :– लो0नि0वि0 गोपेश्वर-चमोली

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगपाल सिंह	प्रशा0 अधिकारी	अध्यक्ष 1905 लो0नि0वि0 महिपाल	पौड़ी गढ़वाल पौड़ी	1- प्र0व0 1905 लो0नि0वि0 लैन्सडौन 2- अध्यक्ष 1905 कोटिमार 3- नि0व0 पौड़ी 4- प्र0व0 1905 पौड़ी 5-	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पाँच) ☑ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	

टः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– जगपाल सिंह

पदनाम– प्रशा0 अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– नि0 प्रमुख कुमार 25/4/23

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून
25/4/23

अनुरोध के आधार पर आवेदन का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता कम में	एक्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार पर (साक्ष्यो सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री महेन्द्रसिंह मेहता	प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बैजरो	नैनीताल/	1– निर्माण खण्ड लो0नि0नि0वि0 कपकोट	धारा 17(1)ख (छ)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					2– निर्माण खण्ड लो0नि0नि0वि0 अस्कोट।			
					3– प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ।			
					4– निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल।			
					5– ए0डी0बी0 खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल			
					6– प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल।			
					7– रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 हल्द्वानी।			
					8– रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 धुमाकोट			
					9– निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर।			
					10–निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 काशीपुर।			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

27/4/2023

महेन्द्रसिंह मेहता

प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बैजरो।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बैजरो।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓लगायें।	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संजय कुमार रतूडी	प्रशासनिक अधिकारी	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	टिहरी गढ़वाल/ कीर्तिनगर	रा0मा0 खण्ड डोईवाला	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	पैतृक विभाग में स्थानान्तरण	निःसवर्गीय खण्ड पी0एम0जी0 एस0वाई0 लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर से मूल विभाग में वापसी।
					प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 रुड़की, (मुख्यालय–देहरादून।)	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 लक्सर।	☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 हरिद्वार।	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					वि0/या0 खण्ड, लो0नि0वि0 ऋषिकेश।	☐ धारा 17(1) (ख) (आठ)		
					अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 ऋषिकेश।	☐ धारा 17(1) (ख) (नौ)		
					निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर।	☐ धारा 17(1) (ख) (दस)		

नोट –कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम–संजय कुमार रतूडी
पदनाम–प्रशासनिक अधिकारी।

10/5/2023
(इं0 बी0एन0गोदयाल)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0
10.5.23 नरेन्द्रनगर।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0
देहरादून।

विषय :- निजी हित में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी माह–अगस्त, 2012 से पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर में कार्यरत है। मै सेवा के प्रारम्भ से ही वर्ष 1995 से अगस्त 2012 तक सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के खण्डों में कार्यरत रहा हूँ। प्रार्थी पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड से अनुरोध के आधार पर मूल विभाग लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण चाहता है। क्योंकि पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों में सिचांई विभाग से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता कार्यरत है। पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्या अग्रिम प्रस्तुत करने में परेशानी हो रही है। क्योंकि वार्षिक गोपनीय आख्या का पोर्टल उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है। इन खण्डों का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह खण्ड निःसदर्गीय है।

अतः महोदय से अनुरोध है प्रार्थी का स्थानान्तरण अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2 पर ऐच्छिक स्थानों पर करने की महति कृपा करें। इस हेतु प्रार्थी आजीवन आपका आभारी रहेगा।

प्रार्थी
10.5.23
संजय कुमार रतूड़ी
प्रशासनिक अधिकारी
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

अग्रिम प्रतिलिपि :- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'ग' वर्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रार्थी को निःसदर्गीय खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 से मूल विभाग में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः- प्रान्तीय अध्यक्ष/क्षेत्रीय अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन टिहरी/देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि प्रारूप–2 में अंकित खण्डों में से किसी एक खण्ड में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

संजय कुमार रतूड़ी
प्रशासनिक अधिकारी
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड, लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

पत्रांक 413 / मूल दि0 10/5/2023
मूल में अधीक्षण अभियन्ता पीएमजीएसवाई वृत्त लो0नि0वि0 मसूरी को अग्रसारित।
10/5/2023
अधिशासी अभियन्ता
पी एम.जी.एस.वाई. खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्र नगर
जिला नई टिहरी
10.5.23

824|2eeeeeeeeeeeeee

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7		8
						धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्रीमती पूनम नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 देहरादून	पौड़ी / लैंसडाउन	1. विद्युत / यांत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून 2 राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 डोईवाला। 3. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून 4 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून			वर्तमान में कार्यरत तैनाती कार्यालय (परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 देहरादून) के समायोजन की सम्भावना के तहत् कार्मिकों के भी समायोजन की दशा में देहरादून स्थित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में समायोजन का अनुरोध किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा प्रथम तैनाती खण्ड, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर में दि0 23.10.2001 से दि0 02.06.2016 तक लगभग 14 वर्ष 9 माह की अवधि की दुर्गम क्षेत्र की सेवा पूर्ण की ली गयी है।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 2/05/2023

नाम– पूनम नेगी

पदनाम– प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 2-5-2023

नाम– इं0 दयानन्द

पदनाम– परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता पी.एम.यू. ए.डी.बी. (सड़क) लो.नि.वि. देहरादून

कार्यालय परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता
पी0एम0यू0,ए0डी0बी0,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

PHONE NO- 0135- 2722825
FAX NO- 0135- 2722911
E-MAIL: pdpmuadb pwdut@gov.in

21, ENGINEER ENCLAVE, G.M.S. ROAD
NEAR BANK OF BARODA, DEHRADUN
Pin Code- 248001

पत्रांक: 154 / 18(05)पी0एम0यू0 / 2023 दिनांक 03 / 05 / 2023

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

विषय– अनुरोध के आधार पर श्रीमती पूनम नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 देहरादून के सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण के विचार हेतु ऐच्छिक स्थान निर्धारित प्रारूप का प्रेषण।

संदर्भ – कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'क' वर्ग, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यालय ज्ञाप सं0 527 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दि0 20.04.2023

महोदय,

कृपया उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दि0 20.04.2023 के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय में कार्यरत श्रीमती पूनम नेगी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुरोध के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमती पूनम नेगी, प्रशासनिक अधिकारी के अनुरोध पर स्थानान्तरण के विचार हेतु ऐच्छिक स्थान प्रारूप पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार(मूल में)।

2.5.2023

(इं0दयानन्द)
परियोजना निदेशक / मुख्य अभियन्ता